अध्यक्ष की अनुमति से उठाया गया मुद्दा
भारतीय मछुआरों को मारने के आरोपी दो नौसैनिकों को वापस भेजने से इटली का इंकार

राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी रोष और बेहद पीड़ा के साथ एक राष्ट्र के रुप में, जिसके साथ विश्वासघात किया गया है, मैं सार्वजनिक महत्व के इस विषय को उठा रहा हूं। इटली के दो नौसैनिक कर्मियों, जिन पर भारतीय मछुआरों को मारने के लिए केरल में मुकदमा चलाया जा रहा था, फरार हैं। और वे धोखा देकर फरार हुए, जो एक बड़े देश द्वारा भारत सरकार और भारत के उच्चतम न्यायालय के साथ किया गया एक तरह का धोखा है। हमने सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के बारे में सुना था, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश की ये हरकत जो स्पष्ट रुप से कानून के शासन के अनुसार की गई, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित छल और सरकार द्वारा प्रायोजित अपहरण का पहला मामला है। यह सरकार द्वारा प्रायोजित अपहरण का मामला है क्योंकि वे सबसे पहले यह बहाना बनाकर भारत के उच्चतम न्यायालय में गए कि जिन दो व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है उन्हें क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर जाना है। चूंकि भारत में हमारी न्याय व्यवस्था शिष्ट है, हमारी अदालत ने उनके इस अनुरोध को मान लिया। दूसरा बहाना थोड़ा विचित्र था कि वे वोट डालने के लिए स्वदेश जाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत कानून जो मैं समझता हूं, जब आप कैद होते हो, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। अतः अगर एक भारतीय कैदी ने यह कहते हुए भारतीय अदालत का दरवाजा खटखटाया होता कि मुझे रिहा कर दीजिए क्योंकि मैं अपना वोट डालना चाहता हूं, इस अनुरोध को कभी भी माना नहीं गया होता।

यहां तक कि दुनिया के अन्य भागों में रह रहे इतालवी नागरिकों के लिए एक सुविधा उपलब्ध है–यह मानते हुए कि वे कैद में नहीं हैं और देश से बाहर हैं– मैं इटली के गृह मंत्रालय की अधिसूचना को पढ़ रहा हूं, '' विदेशों में रहने वाले इटली के नागरिक मेल के जरिये अपने उम्मीदवार को वोट डालने के हकदार हैं।'' अतः वे आसानी से मेल के जरिये वोट डाल सकते थे। ऐसा लगता है कि ये बहाना पहले से तैयार कर लिया गया था। यह पहले से ही तैयार था क्योंकि जब आपका कानून मेल से वोटिंग की इजाजत देता है, आप भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये बात कहते हो कि आप विदेश जाने की सुविधा चाहते हो, और, एक ऐसा आदेश पारित हो जाता है जिसे कभी पारित नहीं होना चाहिए था और उस देश की गारंटी पर आपको विदेश जाने की अनुमति मिल जाती है। मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मेरे पास विश्वास करने का कारण है, हांलाकि इटली के राजदूत ने यह गारंटी दी, जिसे इटली के प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी और यह गारंटी भारत के उच्चतम न्यायालय को दी गई। दिया गया था। और भारत के उच्चतम न्यायालय को गारंटी देने के बाद वे विदेश चले गए और इटली की सरकार पलटी मारकर कहती है, ''क्योंकि अधिकार क्षेत्र को लेकर हमारा विवाद है, हम उनसे वापस आने के लिए नहीं कहेंगे और अब वे भारतीय कानून से फरार हैं।''

अधिकार क्षेत्र का विवाद भारतीय कानून में भी उठाया जा सकता है, जब हमारे नागरिकों पर मुकदमा चलाया जा रहा हो। भारत में 1984 में जो घटनाएं हुईं, लोगों ने अमरीका तक में मुकदमे दायर किये। हमें जाकर कहना चाहिए था कि उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। और यहां एक ऐसा देश है जिसने तीसरी बार ऐसा किया है। 1980 में आपने रक्षा सौदा किया, कोई मलेशिया, इंडोनेशिया के रास्ते फरार हो गया और वहां शरण ले ली और हम लाचार देखते रह गए। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में, हमारे अधिकारी वहां गए और खाली हाथ लौट आए क्योंकि हमें बताया गया कि कुछ इतालवी नागरिकों और भारत में कुछ अन्य के खिलाफ सबूत उपलब्ध होंगे जो दलाली के दोषी हो सकते हैं और हमारी जांच एजेंसियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया।

यह सरकार द्वारा प्रायोजित धोखे की पराकाष्ठा है जिसमें आप भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से फरार हो गए। महोदय, ऐसे मामलो में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इतने लाचार हैं कि भारत इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा?

महोदय, मेरा कहना है कि इन तीन अनुभवों के बाद, अब समय आ गया है जब हमें रोम के लोगों से समझौते करते समय रोमनवासियों की तरह ही सौदा करना चाहिए और जब उन्होंने कूटनीति के सभी नियमों को तोड़ दिया है, अब समय है जब भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि अब हम कूटनीति की परम्परा से बंधे हैं।

महोदय, मुझे संदेह है–चूंकि कानून मंत्री सदन में मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करुंगा कि वे इस बात पर विचार करें–क्या राजदूत, जिसने, इस मामले में, इटली की सरकार की तरफ से गारंटी दी उसे इसका

अधिकार है जिसे कहा जा रहा है कि यह उनका कूटनीतिक विशेषाधिकार है। उन्होंने मामला भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने रखा। जब आप एक बार किसी अधिकार क्षेत्र में रख देते हैं, आप कूटनीतिक विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। दूसरा, महोदय 1961 का वियना समझौता संविधानेतर समझौता है। हमने इसे घरेलू कानून का आकार देने के लिए व्यवस्था बनाई। एक सामान्य घरेलू कानून भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता और भारत के उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उसकी अवहेलना करने वाले को दंडित करे जिसकी धारा 129 में व्यवस्था है। वियना समझौता भारतीय संविधान की धारा 129 का उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी भी सूरत में कानून मंत्री यह पता लगा सकते हैं, क्या संविधानेतर संधियां, और उनमें से एक वियना समझौता, भारत के संविधान का उल्लंघन कर सकता है। मुझे इस बारे में गंभीर संदेह है, खासतौर से जब इटली की सरकार और उनके राजदूत ने भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा हो।

अतः, महोदय, मैं समझता हूं, अब समय आ गया है, जब हमें कूटनीतिक नजाकत को भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तीसरी बार इस तरह की घटना हुई है। महोदय, जिसे गंभीरता नहीं लिया गया, उसके बारे में एक बहुत दिलचस्प कहावत है। यह एक प्रसिद्ध चरित्र जिसके बारे में हममें से कुछ को याद होगा। उसने कहा था, ''पहली बार कोई भी घटना दुर्घटनावश हो सकती है, दूसरी बार संयोग हो सकता है, तीसरी बार यह दुश्मन की कार्रवाई होती है।'' यह जैम्स बोंड, इयान फ्लैमिंग की प्रसिद्ध कहावत है। इस घटना को दुश्मन की कार्रवाई की तरह लेना चाहिए, कि आपने एक व्यक्ति का अपहरण किया, उसे भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले गए और इसके बाद कहा कि भारत भाड़ में जाए, हमें कोई लेना–देना नहीं है। इसलिए इस मामले में, भारत सरकार को जवाब अवश्य देना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए।